BCCI BULLETIN

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

Vol. XXXXV | 16th April 2014 | No. 6

बिहार दिवस विशेष

102 साल का बिहार

> "बिहार का इतिहास गौरवशाली रहा है। पहले भारतीय राज्य का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। बिहार का पुनरुत्थान पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है।" – अमर्त्य सेन, नोबल पुरस्कार सम्मानित

जो कभी न माने हार, वही बिहार

102 साल, बडा लम्बा सफर, एक आदमी के लिए ये असंभव सा है, और यदि कोई जिंदा रहे भी तो निश्चित रूप से वह मल्टीपल डिसऑर्डर का शिकार हो जायेगा। उसके अपने भी उसे लाचार मानकर उसकी मुक्ति की दुआ करने लगते हैं। पर एक प्रदेश के लिए ये एक जवान होने जैसा वक्त है। 102 की उम्र किसी भी प्रदेश, देश के परिपक्व हो जाने की, आगे बढ़ने की उम्र है। बिहार भी आज उसी दौर में है, ऊर्जा से भरा एक युवा प्रदेश। अब सवाल ये है कि बिहार 102 साल का ही है क्या ? हमने तो पढ़ा है कि महाभारत काल में कर्ण को तंत्र ज्ञान इसी भूमि पर मिला। सीता का जन्म भी मिथिला में हुआ। नालंदा के हमारे रसायनविद नागार्जुन ने ही प्रयोगशाला के उपकरण बीकर का अविष्कार किया। सिखों के दसवें गुरु गोविन्द सिंह भी पटना में जन्मे, वैशाली से दुनिया ने गणतंत्र की शासन प्रणाली सीखी।

बात यह है कि 22 मार्च 1912 को सरकारी कागजों में बिहार लॉ एक्ट पर हस्ताक्षर हुए। एक अप्रैल को राज्य अस्तित्व में आया। हम बंगाल से अलग हुए। हमें हमारा नाम मिला। दरअसल दुनिया का ज्ञान से नाता जोड़ने का काम तो बिहार सदियों से कर रहा है। सर्जरी के जनक सुश्रुत भी यहीं जन्मे तो आर्यभट्ट भी हमारे ही हैं, पर बिहार ने सदियों से बिना प्रचार, अभिमान के देने में विश्वास किया है। इस भूमि के ऐसे संस्कार हैं कि हमने मांगने में नहीं, देने में विश्वास किया। चाणक्य की कूटनीति और अशोक का शांति सन्देश भी इसी भूमि से निकला। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो अशोक चक्र है वह भी बिहार की देन है। महिला पहचान को नया आयाम देने में गार्गी और मैत्रीय के योगदान को कौन भूल सकता है। गायत्री मंत्र का पहला उच्चारण इसी धरती पर हुआ। बुद्ध के चरण से हम धन्य हुए, तो हमारे नालंदा और विक्रमशिला के ज्ञान के आगे दुनिया ने माथा टेका। फणीश्वर नाथ रेणु और रामधारी सिंह दिनकर भी हमारे हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से जय प्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति तक बिहार ने नेतृत्व किया। फेहरिस्त लम्बी है, और इतिहास की बुलंदी और शोहरत हमें प्रेरणा तो दे सकती है पर सिर्फ उसी में मदमस्त होकर हम भविष्य नहीं रच सकते। वक्त है नया बिहार गढ़ने का।

बिहार ने हमेशा देश को राह दिखाई। वो दौर भी हमने देखा जब देश ने हमें अपहरण, बाहुबल, गुंडई का केंद्र मान लिया। पर हम रुके नहीं। पिछले कुछ बरसों में हमने आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाई। हम बीमारू और गरीब के अभिशाप से उबर रहे हैं। हाल ही में जारी हुई इकनोमिक फ्रीडम ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया में यही बात निकली है। पिछले सात सालों में बिहार के जीडीपी में 10.87 प्रतिशत की दर से औसत वृद्धि दर्ज हुई। यह देश के पांच बड़े राज्यों से ज्यादा है। यह देश की विकास दर 8.29 प्रतिशत से भी अधिक है। बिहार अब देश की प्रगति से भी आगे दौड़ रहा है। गरीबी भी कम हुई है। दस साल पहले बिहार में 56 फीसदी आबादी गरीबी में जीवन बसर करती थी। अब केवल 33 फीसदी आबादी गरीब है। हालाँकि ये एक शुरुआत है, अभी बड़े काम, बड़े बदलाव की जरूरत है।

बिहार अपने जन्म के बाद भी छला गया। यहां की कमाई से कोलकाता की रंगत बढती गई, यहाँ के लोगों के श्रम से मुंबई निखरती गई। झारखंड हमसे अलग हुआ। हमारे हिस्से सिर्फ बालू और आलू आये यह कहकर हमें खत्म मान लिया गया। पर बिहार ने एक बार फिर खुद को साबित किया। अपनी बौद्धिक ताकत और मेहनत से बालू से भी तेल निकाल लिया। आज बिहार अपने पैरों पर खड़ा है। हमारे युवा दुनिया में परचम लहरा रहे हैं। सुबोध गुप्ता की कला लंदन ओलिपिक तक सराही गई तो बिहार से जुड़े रहे विक्रम सेठ साहित्य की दुनिया में सूटेबल बॉय बनकर उभरे हैं। फिल्मी दुनिया में सुशांत सिंह राजपूत यूथ आइकॉन हैं तो यहाँ की जमीं से जुड़ी सोनाक्षी सिन्हा अदाकारी से शोहरत हासिल कर रही है। इसके अलावा हाजीपुर का केला, सासाराम का पियाव, मनेर का लड्डू, मुजफ्फरपुर की लीची, सीवान की मिट्टी के बर्तन, दरभंगा का मखाना, मधुबनी की मछली, भागलपुर का रेशम, मिथिला की पेंटिंग पूरी दुनिया में पहचानी जाती है। बिहार अब नई राह पर दौड़ रहा है। कोई हमें हमारा हक दे या न दे। हम अपना रास्ता और अपनी मंजलि खुद तय करते हैं। आखिर हमारे आइकॉन दशरथ मांझी हैं।

बिहार का एक ही सूत्र वाक्य
जो कभी न माने हार, वही बिहार।

(साभार: प्रभात खबर, 22.3.2014)

चुनावी मुद्दा में चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल की राय

"प्रत्येक चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे में जो रहता है वह होता नहीं। कथनी और करनी में अंतर है। चुनावी मुद्दा पूरे देश के लिए एक समान विकास नीति, भ्रष्टाचार से मुक्ति, महंगाई पर रोक, रोजगार के अवसर और मलभूत संरचना उपलब्ध कराने की ठोस और कारगर नीति हो।" (साभार: राष्ट्रीय सहारा, 29.3.2014)

नकदी पर चैम्बर ने मांगा स्पष्ट निर्देश

बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने लोकसभा चुनाव के दौरान नकदी के आवागमन के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में चुनाव आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, मुख्य सचिव, बिहार, आरक्षी महानिदेशक, बिहार व प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त को पत्र भेजा है।

लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने हवाला लेनदेन पर अंकुश लगाने के लिए जो मार्गदर्शन बनाया है, उसके अनुसार 10 लाख से अधिक नकदी स्थानान्तरण पर निगाह रखने व रोकने का निर्देश है। चैम्बर अध्यक्ष ने कहा है कि व्यापारी निजी या कारोबार के लिए नकदी का आवागमन करते हैं। चैम्बर अध्यक्ष ने जानना चाहा है कि ऐसे में व्यापारियों को कौन-कौन से कागजात रखने चाहिए, जिससे वे प्रथम दृष्टया ही निरीक्षण करने वाले अधिकारियों को संतुष्ट कर दे कि उनका पैसा चुनाव के लिए नहीं है। उन्होंने शिकायत की है कि चेकिंग के नाम पर छोटी राशि के लिए भी व्यापारियों को तंग किया जा रहा है। मीडिया के माध्यम से इसे प्रचारित किया जा रहा है। ऐसे में, असामाजिक तत्व द्वारा रुपये के मालिक के साथ कोई अप्रिय घटना उस समय या उसके बाद घट सकती है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि 2014 के चुनाव की अवधि बहुत लंबी है। इस दौरान रबी फसल की कटाई और बिकवाली किसानों द्वारा की जाती है। जिसका भुगतान मुख्यत: नकद होता है। इन दो महीनों में शादी-विवाह के लगन के चलते लोग खरीदारी के लिए भी नकद लेकर जाते हैं। उन्होंने कहा कि व्यवसायियों की इस तरह धर-पकड़, नकदी जब्ती से व्यवसायी काफी भयभीत है। उन्होंने इन स्थितियों से बचने के लिए कोई रास्ता निकालने का अनुरोध किया है।

(साभार: दैनिक जागरण, 1.4.2014)

चुनाव से बेपटरी हो रहा व्यापारियों का धंधा

चुनाव को लेकर राज्य के कई शहरों के हजारों व्यापारियों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि अधिकतर वाणिज्य कर अफसर चुनाव कार्य में लगा दिए गए हैं। यहां तक की अंचल प्रभारी भी चुनाव कार्य में लगे हैं।

(विस्तृत: हिन्दुस्तान, 28.3.2014)

प्राप्ति रसीद नहीं मिलने से बढ़ी परेशानी

वाणिज्य कर विभाग के निर्देशों के बावजूद व्यापारियों को आवेदन की प्राप्ति रसीद नहीं मिल रही है। व्यापारियों का कहना है कि अगर यही स्थिति रही, तो विभाग के अधिकारी कोई भी आरोप लगाकर कार्रवाई कर सकते हैं। इधर विभाग के अंचलकर्मियों का कहना है कि अंचल प्रभारी आदेश देंगे, तभी प्राप्ति रसीद दी जाएगी।

टैक्सेशन बार एसोसिएशन एवं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आरोप लगाया कि विभाग के कई अधिकारी ऐसा काम कर रहे हैं यह नियम के विरुद्ध है। टैक्सेशन बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संजय पांडे ने कहा कि पिछले साल 26 दिसंबर को विभाग के अपर आयुक्त के. एन. राय ने निर्देश दिया था कि आवेदन या कागजात, जिसमें दावा से संबंधित वैधानिक प्रपत्र शामिल है, उसकी प्राप्ति रसीद देना अनिवार्य है। चैम्बर ने सीएम को ज्ञापन सौंपा। **(साभार: हिन्दुस्तान, 06.3.2014)**

बिहार सरकार

वाणिज्य-कर विभाग

आवश्यक सूचना

वाणिज्य-कर विभाग के अधिसूचना संख्या-6888 दिनांक 30.10.2012, जो बिहार राज्य से होकर गुजरने वाले आउट टू आउट ट्रांजिट पास के निर्गमन से संबंधित है, की कंडिका 4 में यह उल्लिखित है कि आउट टू आउट की सुविधा जेनरेट करते समय परिवहनकर्त्ता/ व्यवसायी को ही संभावित इन्ट्री चेक पोस्ट एवं एक्जिट चेक पोस्ट का नाम ड्रॉप डाउन मेनू से चयन कर अंकित करना अनिवार्य होगा। उक्त अधिसूचना को उद्धरित करते हुए स्थानीय समाचार पत्र में आवश्यक सूचना पी आर-10882 (वित्त) 12-13 प्रकाशित हुआ है। इस सूचना में D-IX रोड परमिट का उल्लेख किया गया है जबकि अधिसूचना संख्या-6888 दिनांक 30.10.2012 आउट टू आउट ट्रांजिट पास D-VII से संबंधित है। अत: पी आर 10882 (वित्त) 12-13 द्वारा प्रकाशित सूचना को रद्द किया जाता है।

2. एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि राज्य के अन्दर प्रदेश करने वाले मालों के लिए घोषणा पत्र D-IX तथ D-VII में प्रवेश के चेक पोस्ट का नाम का चयन परिवहनकर्त्ता/ व्यवसायी द्वारा किया जायेगा और चिन्हित चेक पोस्ट से ही उसका प्रवेश करना आवश्यक होगा।

3. राज्य के बाहर जाने वाले या राज्य से होकर बाहर जानेवाले मालों के लिए व्यवहृत 'सुविधा' क्रमश: D-X तथा D-VII में निकासी के चेक पोस्ट (Exit Checkpost) के नाम का चयन परिवहनकर्त्ता/व्यवसायी द्वारा किया जायेगा और चिन्हित चेक पोस्ट से ही उसकी निकासी आवश्यक होगा। "परिवहनकर्त्ता/व्यवसायी चाहें तो रास्ते में किसी भी समय प्रदेश/ निकासी के संभावित चेक पोस्ट का नाम बदल सकते हैं, लेकिन संभावित चेक पोस्ट का नाम D-VII, D-IX, D-X के Approve होने के बाद बदला नहीं जा सकेगा।

4. Air/Rail के माध्यम से आने माल की 'सुविधा' में भी संभावित सड़क मार्ग पर पड़ने वाली चेक पोस्ट का नाम अंकित करना आवश्यक होगा। लेकिन ऐसी 'सुविधा' को अंकित चेक पोस्ट पर जा कर Approve कराने की आवश्यकता नहीं होगी।"

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव

(सामार: हिन्दुस्तान, 25.3.2014) बिहार, पटना

800 करोड़ की 14 योजनाओं को मंजूरी

लोकसभा चुनाव की घोषणा के ठीक पहले केन्द्र सरकार ने योजनाओं के लिए 807 करोड़ रुपये का तोहफा दिया है। ये योजनाएं शहरी जलापूर्ति एवं सीवरेज से संबंधित हैं। हालांकि नगर विकास विभाग को तब जानकारी मिली जब चुनावी आदर्श आचार सहिता लागू हो गई। केंद्रीय शहरी विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने इस सिलसिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर कहा है कि जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत 8 जलापूर्ति एवं 6 सीवरेज प्रोजेक्ट यानी कुल 14 परियोजनाओं के लिए 807.52 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी दी गई है।

शहर	योजना	राशि (लाख रुपये में)
सोनपुर	जलापूर्ति	2484.15
समस्तीपुर	जलापूर्ति	3767.02
समस्तीपुर	सीवरेज	8544.64
मघुबनी	जलापूर्ति	4026.28
मघुबनी	सीवरेज	10223.53
खगड़िया	जलापूर्ति	4563.22
खगड़िया	सीवरेज	5996.33
भभुआ	सीवरेज	4591.50
गोपालगंज	सीवरेज	10357.12
गोपालगंज	जलापूर्ति	4397.00
बांका	सीवरेज	4753.40
राजगीर	जलापूर्ति	5457.05
हाजीपुर	जलापूर्ति	8008.42
मधेपुरा	जलापूर्ति	3582.46

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 21.3.2014)

विकास में केंद्र फिर बना रोड़ा

योजना आकार में 4150 करोड़ की होगी कटौती

• संसाधन की कमी बना विकास योजनाओं के लिए रोड़ा • केंद्रीय करों में कम हिस्सेदारी व झारखंड से पैसा न मिलना बना कारण • केंद्र प्रायोजित योजनाओं की भी राशि में हुई है कटौती

इन विभागों के योजना आकार में कटौती (करोड़ में)

विभाग	मूल राशि	संशोधित राशि	श्रम	121.02	97.37
कृषि	2176.74	1301.89	विधि	92.20	45.74
पशु एवं मत्स्य	708.79	147.28	खान	95.87 लाख	19.03 लाख
कला एवं संस्कृति	108.16	118.57	लघु जल संसाधन	265.24	226.28
पिछड़ा वर्ग कल्याण	791.78	1232.92	अल्पसंख्यक	148.59	85.40
भवन	78.78	92.32	पंचायती राज	1430.41	1354.90
कैबिनेट	40.23	7.30	पीएचइडी	531.20	598.79
वाणिज्य कर	5.92	64.92 लाख	योजना एवं विकास	1431.65	932.89
सहकारिता	402.86	427.38	निबंधन एवं उत्पाद	4.53	3.61
आपदा प्रबंधन	49.47	7.09	राजस्व एवं भूमि सुधार	130.76	44.79
शिक्षा	5197.70	5205.90	पथ निर्माण	3502.40	4097.04
ऊर्जा	2435.91	2535.57	ग्रामीण विकास	1509.75	1278.90
पर्यावरण एवं वन	95.86	139.21	ग्रामीण कार्य	2136.91	1721.28
वित्त	243.88	189.24	एससी/एसटी कल्याण	857.96	759.21
खाद्य एवं उपभोक्ता	1502.35	693.40	विज्ञान एवं प्रावैधिकी	126.31	71.19
सामान्य प्रशासन	67.28	27.39	समाज कल्याण	2554.98	2328.69
स्वास्थ्य	629.23	605.25	गन्ना उद्योग	94.90	44.78
गृह	482.65	370.27	पर्यटन	95.93	54.57
उद्योग	452.92	841.72	परिवहन	14.60	6.92
सूचना एवं जनसंपर्क	9.93	6.78	नगर विकास	1570.53	965.66
सूचना प्रावैधिकी	199.03	21.03	जल संसाधन	1699.50	1161.26

(विस्तृत : प्रभात खबर, 21.3.2014)

जीडीपी वृद्धि (फीसदी में)

	5 साल का सीएजीआर	वित्त वर्ष 2013	राज्य जीडीपी*
गोवा	13.4	8.5	29,800
उत्तराखंड	11..8	9.0	66,356
बिहार	11.5	15.1	1,64,121
मध्य प्रदेश	9.6	9.9	2,14,741
दिल्ली	9.4	9.3	2,15,971
त्रिपुरा	9.1	8.7	16,997
गुजरात	8.7	8.0	4,27,219
हरियाणा	8.3	6.5	1,88,033
झारखंड	8.1	7.9	1,05,597
तमिलनाडु	8.1	4.1	4,51,313
राजस्थान	7.9	4.5	2,34,230
केरल	7.6	8.2	2,21,850
महाराष्ट्र	7.2	7.1	8,43,565
आंध्र प्रदेश	7.1	5.1	4,32,112
उत्तर प्रदेश	6.7	5.5	4,45,132
भारत	8.0	4.4	54,82,111

पिछले पांच साल में औसत जीडीपी वृद्धि के आधार पर तेजी से वृद्धि करने वाले राज्य, पांच राज्यों का छोड़कर (सिक्किम, मिजोरम, पुदुचेरी, मणिपुर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप) *राज्य जीडीपी करोड़ रुपये में वित्त वर्ष 2013 में 2004-05 की कीमतों के आधार पर। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 27.3.2014)**

चुपके से स्थानांतरण पर लीज डीड होगी रद्द

सख्ती स्थानांतरण के लिए निगम को देना होगा 50 प्रतिशत लाभांश

निगम के प्लॉट पर बने आवासीय भवन के लीज का स्थानांतरण किसी व्यक्ति को बिना निगम एनओसी के नहीं करा सकते हैं। बिना एनओसी लिए लीज का स्थानांतरण करा लिया है या कराने की सोच रहे हैं तो आपके मंसूबे पर पानी फिर सकता है। ऐसा करने पर निगम लीज डीड को रद्द करेगा और भूखंड वापस ले लेगा। नगर निगम ने यह नियम लागू कर दिया है।

लीज स्थानांतरण के नियम • भूखंड के लीज अधिकार का हस्तांतरण लीज डीड की शेष अवधि के लिए ही मान्य होगा • क्रेता द्वारा मूल लीज डीड की शर्ते तथा पीआरडीए लैंड डिस्पोजल रूल 1978 का पालन करना होगा, नहीं तो किसी तरह का उल्लंघन पाये जाने पर एनओसी को रद्द मना जाएगा तथा लीज डीड रद्द कर भूखंड वापस ले ली जाएगी • आवासीय भूखंड पर लीजधारी द्वारा कोई थर्ड पार्टी इंट्रेस्ट क्रिएट नहीं किया जाएगा। (साभार: दैनिक भास्कर, 26.3.2014)

जमीन का चौगुना मुआवजा मिलेगा

देहाती और शहरी शेत्र में जमीन अधिग्रहण मामले में सरकार का अहम फैसला, राशि का आधार बाजार की दर

देहाती क्षेत्र में अगर किसी परियोजना के लिए सरकार जमीन अधिग्रहण करती है, तो किसानों को उक्त जमीन की बाजार दर से चार गुना अधिक राशि मुआवजे के तौर पर मिलेगी। शहरी क्षेत्र में बाजार दर से दोगुनी राशि बतौर मुआवजा मिलेगी। कैबिनेट ने भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 को मंजूरी प्रदान की।

(साभार: हिन्दुस्तान, 5.3.2014)

आय कर उछाल में अव्वल

प्रत्यक्ष करों के संग्रहण में बढ़ोतरी दर्ज करने के मामले में बिहार-झारखंड इस साल भी पहले पायदान पर हैं। इन दोनों राज्यों से आयकर विभाग ने पिछले साल के मुकाबले इस चालू वित्त वर्ष में 28 फीसदी अधिक प्रत्यक्ष कर जुटाए।

हालांकि, देश के कुल कर संग्रहण में बिहार-झारखंड का हिस्सा अब भी काफी कम है। आयकर विभाग के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (बिहार-झारखंड) आर के राय ने बताया, 'विभाग ने इस साल अब तक कुल 7,222 करोड़ रुपये का संग्रहण किया है।

अगले दो-तीन दिनों में हमें 400-500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संग्रहण की उम्मीद है। इस तरह, हमारा कुल संग्रहण करीब 7,700 करोड़ रुपये रह सकता है। यह पिछले साल के मुकाबले 28 फीसदी ज्यादा है। यह पूरे देश में सबसे ज्यादा है।

(विस्तृत: बिज़नेस स्टैंडर्ड, 29.3.2014)

करदाताओं को डिजिटल हस्ताक्षर की सुविधा

इलेक्ट्रानिक तरीके से भरे गये रिटर्न की प्रति (हार्ड कापी) डाक से भेजे जाने में होने वाली समस्या को दूर करने के इरादे से आयकर विभाग ने करदाताओं की पहचान के सत्यापन के लिये इलेक्ट्रोनिक हस्ताहर की व्यवस्था शुरू करने फैसला किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोई (सीबीडीटी) ने नई प्रणाली अगले वित्त वर्ष के अंत मार्च 2015 से लागू करने का निर्णय किया है। (साभार: हिन्दुस्तान, 24.3.2014)

अफसरों का नया कैडर लागू

- **आर. के. राय बने प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त**
- **बिहार व झारखंड को मिले 103 आईटीओ**

आयकर अफसरों के नए कैडर पर मुहर लग गई है। बिहार व झारखंड के मुख्य आयकर आयुक्त आर. के. राय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त बनाए गए हैं। नए कैडर में मुख्य आयकर आयुक्त का पद दिया गया है।

इसके अलावा प्रधान आयकर आयुक्त का पद भी सृजित किया गया है। बिहार व झारखंड को 103 आईटीओ (आयकर ऑफिसर) मिले हैं। अभी आईटीओ के 124 पद हैं। इसके अलावा 117 इंस्पेक्टर व एक आयकर आयुक्त के पद भी मिलने की संभावना है। आयकर विभाग में अफसरों के नए पद सृजन के लिए कमेटी का गठन किया गया था।

आयकर अफसरों के कैडर में करीब 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। बिहार-झारखंड में अब आयकर अधिकारियों व कर्मचारियों के करीब 1400 पद हैं।

पद	पूर्व पद	नया पद
चीफ कमिश्नर इन्कमटैक्स	18	91
सीनियर कमिश्नर इन्कमटैक्स	116	300
कमिश्नर इन्कमटैक्स	731	635
एडिशनल व ज्वाइंट कमिश्नर	1253	1575
डिप्टी कमिश्नर	1358	1394
असिस्टेंट कमिश्नर	734	1520
आईटीओ	4448	5942
प्रशासनिक ऑफिसर	814	1384
निजी सचिव	814	1384
इंस्पेक्टर	9490	13293
एक्सक्यूटिव असिस्टेंट	13905	19837
टैक्स असिस्टेंट स्टोनो	11886	14781
नोटिस भेजनेवाला	3707	3974
मल्टी टास्क स्टॉफ	7365	11138
ईडीपी	321	610
कार्यालय भाषा अधिकारी	203	354

(विस्तृत: हिन्दुस्तान, 28.3.2014)

कर लाभ में हो सकते हैं रिश्ते-नाते भी मददगार

इस वित्त वर्ष के लिए कर दाखिल करने का समय समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अब भी अधिक कर देने का भय सता रहा है तो इसका भी रास्ता है। आप कुछ अतिरिक्त कटौतियों के लिए अपने परिवार के सदस्यों जैसे माता-पिता, बच्चों और पत्नी (या पति) को इसमें शामिल कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि परिवार पर किए गए सभी निवेश कर छूट के योग्य नहीं होते हैं। हालांकि कुछ उपाय कर ऊंचे कर में थोड़ी बचत की जा सकती है। (विस्तृत: बिज़नेस स्टैंडर्ड, 24.3.2014)

रजिस्ट्रार ऑफ चिट्स नियुक्त करे सरकार : आरबीआइ

निवेशकों का पैसा सुरक्षित रखने की कवायद

बिहार में निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहे, इसके लिए आरबीआइ ने पहल की है। बिहार में चल रही चिट फंड कंपनियों पर नियंत्रण के लिए आरबीआइ ने रजिस्ट्रार ऑफ चिट्स नियुक्त करने का सुझाव दिया है। आरबीआइ सभागार में नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज पर राज्य स्तरीय को-ऑर्डिनेशन कमिटी की बैठक हुई। आरबीआइ के अधिकारियों ने सरकार के प्रतिनिधियों को सुझाव देते हुए कहा है कि अन्य राज्यों में रजिस्ट्रार ऑफ चिट्स हैं। बिहार में भी अगर जरूरत हो, तो इसकी नियुक्ति सरकार करे। आरबीआइ के क्षेत्रीय निदेशक (बिहार-झारखंड) मनोज वर्मा ने कहा कि इसके अलावा बिहार प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपोजिटर्स एक्ट का उल्लंघन होने पर दर्ज केस के ट्रायल के लिए अलग से स्पेशल कोर्ट बनाया जाये ताकि केस का जल्द निपटारा हो सके।

12.5 प्रतिशत से ज्यादा नहीं दे सकती: क्षेत्रीय निदेशक ने कहा कि कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी 12.5 प्रतिशत से ज्यादा ब्याज नहीं दे सकती है। कंपनी न्यूनतम एक साल और पांच साल से अधिक के लिए डिपोजिट नहीं ले सकती है। अगर ऐसा करती है, तो यह गलत है। (साभार: प्रभात खबर, 21.3.2014)

सभी बैंकों में बदले जाएंगे 2005 से पहले के नोट

वर्ष 2005 से पहले के नोट बंद करने के भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के फैसले से बढ़ी मुश्किल खुद आरबीआइ ने ही दूर की है। अब आप किसी भी बैक में 500 और 1000 रुपये के नोट सहित वर्ष 2005 से पहले के सभी नोटों के बदले नए नोट हासिल कर सकते हैं। नोट बदलने के लिए यह सुविधा एक जनवरी 2015 तक उपलब्ध रहेगी। आरबीआइ ने नोटों को लेकर आम लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए सभी बैंकों को यह सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। नोट बदलने के लिए कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है यानी आप जितने चाहे उतने नोट बदलवा सकते हैं। (विस्तृत: दैनिक जागरण, 19.3.2014)

बिना बैंक खाते के एटीएम से निकाल सकेंगे पैसा

अब बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) के एटीएम से वे लोग भी पैसा निकाल सकेंगे जिनका खाता उस बैंक में नहीं है। यह सेवा शुरू करने वाला बीओआई पहला बैंक बन गया है। बैंक ने तत्काल धन अंतरण (आईएमटी) नाम से सेवा शुरू की है।

(साभार: हिन्दुस्तान, 25.3.2014)

पांच बैंकों में सरकारी धन रखने पर रोक

• वित्त विभाग के मापदंड पर नहीं उतरे खरे

• लक्ष्य के अनुरूप कर्ज नहीं बांटने का मामला

इन बैंकों पर लगी रोक : • ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स • केनरा बैंक • कॉरपोरेशन बैंक • देना बैंक • सिंडिकेट बैंक (विस्तृत: प्रभात खबर, 22.3.2014)

SHOW ME THE MONEY

For how long can the government remain promoter of India's public sector banks?

As Basel III regulations progressively kick in, the amount of capital needed to keep the banking system running has multiplied. It has increased pressure for fresh capital infusion from the government, as owner of over 70 per cent of India's banking system.

According to RBI guidelines, almost all of the system's capital requirements for Basel III transition will be due between 2016 and 2018. Additional buffers for capital conservation, and for India's yet-to-be identified "systemically important banks", will also kick in.

***Poor CAR :** Public sector banks are at the bottom of the pile when it comes to meeting RBI's capital adequacy requirements. United Bank of India's CAR at 9.01 per cent has been much talked about. But Canara Bank's CAR is at 9.83 per cent, State Bank of Travancore at 10.03 per cent, Union Bank at 10.12 per cent and Allababad Bank at 10.46 per cent (private sector Dhanlaxmi and Laxmi Vilas Bank fall in the category)*

THE HIGHEST CAPITAL ADEQUACY RATIONS .... (%)

Kotak Mahindra	17.43
ING Vysya	16.93
ICIC Bank	16.81
Federal Bank	14.80
HDFC Bank	14.70
IndusInd	14.38
Yes Bank	13.80
Axis Bank	13.73

... AND THE LOWEST (%)

Indian Overseas	10.99
Bank of India	10.84
Vijaya Bank	10.78
PNS Bank	10.78
Dena Bank	10.61
Laxmi Vilas	10.46
Allahabad	10.46
Union Bank	10.12
SB Travancore	10.03
Canara Bank	9.83
Dhanlaxmi Bank	9.78
United Bank	9.01

(Details : Business India, March 17-30,2014)

सरकारी बैंकों ने रिकवरी के मुकाबले बट्टे खाते में डाली ज्यादा रकम

अपनी बैंलेंस शीट को दुरुस्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तरफ से डूबने वाले ऋण को बट्टे खाते में डालना जारी है और यह रकम उनकी तरफ से वसूले जा सकने वाली रकम के मुकाबले ज्यादा है। इस सूची में देश के सबसे बड़े भारतीय स्टेट बैंक का नाम सबसे ऊपर है।

रिकवरी के मुकाबले बट्टे खाते में ज्यादा रकम

बैंक	कुल नकद रिकवरी	बट्टे खाते में डाले	रिकवरी के % के तौर पर बट्टे खाते की रकम
एसबीआई	5250	7478	142
आईडीबीआई बैंक	482	565	117
ओबीसी	767	887	115
यूको बैंक	715	790	110
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	225	245	109

रकम: करोड़ रुपये में स्रोत : वित्त मंत्रालय

(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 24.3.2014)

कुछ सरकारी बैंकों के होमलोन एनपीए पर मंत्रालय की नजर

सुरक्षित कर्ज पोर्टफोलियो में इजाफे के मामले में बैंक होम लोन को बेहतर दांव मानते हैं। हालांकि ज्यादातर समय वास्तव में ऐसा ही होता है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों के होम लोन खाताबही में उच्च स्तर के एनपीए का रिकॉर्ड देखा गया है।

होम लोन एनपीए वाले बैंकों पर नजर

बैंक	दिसंबर 2013 में कुल बकाया होम लोन	दिसंबर 2013 में सकल होम लोन एनपीए
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	10,051 करोड़ रु.	3.57%
इंडियन ओवरसीज बैंक	5,707 करोड़ रु.	3.01%
पंजाब ऐंड सिंध बैंक	2,669 करोड़ रु.	3.44%
सिंडिकेट बैंक	9,404 करोड़ रु.	3.32%
यूको बैंक	5,898 करोड़ रु.	4.05%
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	4,268 करोड़ रु.	8.30%

स्रोत: वित्त मंत्रालय (विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 24.3.2014)

बैंकों को मार्च तक 20,000 और एटीएम लगाने होंगे

बजट 2013-14 में 72,340 एटीम स्थापित करने का लक्ष्य था, एटीएम लगाने में निजी क्षेत्र के बैंक रहे आगे

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक दिसंबर तक सिर्फ 14,855 एटीएम लगा पाए हैं। ऐसे में प्रत्येक शाखा में कम से कम एक एटीएम के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्हें मार्च अंत तक करीब 20,000 एटीएम और लगाने होंगे।

आंकड़ों में एटीएम का गणित : • **2,221** एटीएम अभी और लगाने हैं एसबीआई को, वह लगा चुका है 2,266 एटीएम • **2,033** एटीएम अभी और लगाने हैं इलाहाबाद बैंक को, अब तक उसने 385 ही स्थापित किए • **1044** एटीएम अभी और लगाने हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को, 1342 एटीएम का है उसका लक्ष्य •**1004** एटीएम अभी और लगाने हैं इंडियन ओवरसीज बैंक को • **1408** एटीएम अभी और लगाने हैं पंजाब नेशनल बैंक को।

बॉब को लगाने हैं दो एटीएम : बैंक ऑफ बड़ौदा को लक्ष्य को पाने के लिए सिर्फ 2, आईडीबीआई बैंक को 32 व विजया बैंक को 39 एटीएम और लगाने होंगे। देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 26 हैं। (विस्तृत: दैनिक भास्कर, 10.3.2014)

'जैन बैंक' की स्थापना पर विचार कर रहा है समुदाय

जैन समुदाय अपने लोगों की उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए रकम मुहैया कराने की पहल पर विचार कर रहा है। उनकी योजना कम से कम 100 करोड़ रुपये के फंड से जैन बैंक या सहकारी समिति बनाने की है और इसके जरिए समुदाय के उन लोगों को रकम मुहैया कराई जाएगी जो कारोबारी उद्यम लगाना चाहते हैं या फिर मौजूदा कारोबार आगे बढ़ाना चाहते हैं। (विस्तृत: बिज़नेस स्टैंडर्ड, 26.3.2014)

सभी बीमा योजनाओं में नहीं मिलती टैक्स छूट

बीमा उत्पादों को लेकर कई लोगों का यह मानना है कि यह कर (टैक्स) बचाने का एक सबसे बेहतर साधन हैं। लेकिन हाल में नियम और नियामकीय बदलाव खासकर डायरेक्ट टैक्स कोड (डीटीसी) आदि में होने के बाद टैक्स बचाने के लिए किसी भी बीमा योजना का चुनाव करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि सारी बीमा पॉलिसी टैक्स बचाने वाले हों।

सभी बीमा प्रीमियम नहीं हैं कर मुक्त : वित्त वर्ष के आखिरी तिमाही में जब सैलरी से आयकर (इनकम टैक्स चुकाना होता है तब टैक्स बचाने के साधन के रूप में बीमा पॉलिसी सबसे पहले याद आती हैं। ऐसे में लोग जरूरत को समझे बिना कई गैर जरूरी बीमा पॉलिसी भी खरीद लेते हैं।

टैक्स कटौती योग्यता नियम में बदलाव : हाल में डायरेक्ट टैक्स कोड नियमों में हुए बदलाव के बाद अब बीमा प्रीमियम पर टैक्स कटौती के लिए अलग-अलग शर्तें लागू हो गई हैं। नए नियम के मुताबिक कोई भी बीमा पॉलिसी जो सालाना प्रीमियम के दस गुना से कम कवर करती है, वह टैक्स में छूट के योग्य नहीं है।

कम आंतरिक रिटर्न : डीटीसी के नए नियमों के बाद अब बीमा में आंतरिक रिटर्न या लाभ की दर पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। किसी उपभोक्ता को 25 लाख रुपये के कवर के लिए कम से कम 2.5 लाख रुपये सलाना खर्च करने होंगे। आंतरिक रिटर्न की दर को अगर 10 साल के लिए देखें तो यह रिटर्न महज 5.75 प्रतिशत है, जो पीपीएफ और बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट से बहुत कम है।

(साभार: हिन्दुस्तान, 29.3.2014)

गरीबों की योजनाओं में दिलचस्पी नहीं लेते हैं बैंक

दम तोड़ रही है पशुपालन से गरीबी दूर करने की योजना

पशुपालन से गरीबी दूर करने की योजना राज्य में दम तोड़ रही है। लोग चाह कर भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। नाबार्ड के माध्यम से पशुपालन के लिए मिलने वाली मदद में 25 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान है। अनुसूचित जाति के मामले में यह सब्सिडी 33.33 प्रतिशत है। पशुपालन के लिए बैंकों को सब्सिडी की भरपाई नाबार्ड द्वारा की जाती है।

समीक्षा में मिली चौंकानेवाली जानकारी : हाल ही में पशुपालन विभाग ने मुरगी पालन, सूअर पालन और बकरी पालन के प्रोजेक्ट के लिए कर्ज के लिए बैंकों को सौंपे आवेदनों की स्थिति की समीक्षा की। समीक्षा में चौंकाने वाली जानकारी मिली। राज्य में सूअर पालन के लिए बैंको को सौंपे एक भी आवेदनकर्ताओं को बैंक ने कर्ज नहीं दिया। पशुपालन विभाग में समीक्षा के दौरान एक प्रजेंटेशन में बताया गया कि पशुपालन विभाग ने सूअर पालन के लिए हर तरह से जांच-परख के बाद बैंक को 36 प्रोजक्ट सौंपा था। मांस की आपूर्ति को बेहतर बनाने और गरीबी दूर करने के लिए राज्य सरकार ने राज्य में व्यापक स्तर पर सूअर पालन शुरू कराने की तैयारी की थी। मुरगी पालन की योजना का भी यही हाल है। (विस्तृत: प्रभात खबर, 24.3.2014)

बैंक खाते में सीधे जमा हो जाएगा बीमा क्लेम

लोग बीमा पॉलिसी को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। इसकी एक बड़ी वजह बीमा क्लेम के समय मांगे जाने वाले कई दस्तावेज और भुगतान प्रक्रिया में देरी है। इसे देखते हुए बीमा नियामक इरडा ने बीमा कंपनियों को अवधि पूरी होने पर मिलने वाले लाभ या क्लेम का भुगतान सीधे बीमाधारक के खाते में ऑनलाइन जमा करने का निर्देश दिया है। (विस्तृत : हिन्दुस्तान, 5.3.2014)

हत्या को दुर्घटना मान देनी होगी बीमा राशि

दुर्घटना बीमा कराने के बावजूद अगर पालिसीधारक की हत्या हो जाती थी तो दावे का भुगतान नहीं होता था। बीमा कंपनियां हत्या को दुर्घटना नहीं मानती थी। राज्य आयोग के एक महत्वपूर्ण फैसले से अब दावा पाने की राह खुल गई है। मधुबनी के कपिलदेव महतो की हत्या को दुर्घटना मान कर उनकी विधवा सरस्वती देवी के पक्ष में 29 जनवरी को फैसला सुनाया गया। (विस्तृत: दैनिक जागरण, 11.3.2014)

बिहार में आईटी पर जोर

• राज्य सरकार आईटी क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों को देगी कई रियायतें • राज्य सरकार ने 2018 तक रखा 5,000 करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य • राज्य सरकार ने इस साल के शुरू में दी थी नई आईटी नीति को मंजूरी • पटना के निकट बिहटा में एक आईटी पार्क पर तेजी से चल रहा काम

बिहार सरकार ने अगले तीन साल में राज्य में राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र में 5,000 करोड़ रुपये निवेश जुटाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकार आईटी कंपनियों के लिए कई रियायतें भी लेकर आई है। (विस्तृत: बिज़नेस स्टैंडर्ड, 19.3.2014)

उद्योग लगाने को गांवों के खाली मकानों का करें उपयोग

उद्यम का ककहरा सीखने का नया मंच है-बिहार एंटरप्रेन्योरशिप सम्मिट। एक बड़ी जरूरत पूरी हुई है। अगली कड़ी में उद्योग लगाने के लिए जमीन की दिक्कत आएगी। चिंता नहीं, गांवों के खाली मकानों का उपयोग करें। जमीन के साथ बना-बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा। शुरू कीजिए बिजनेस। सहयोग के लिए इनोवेशन काउंसिल के बाद इनोवेशन सेंटर भी सरकार बनाने जा रही है। योजना विभाग के प्रधान सचिव विजय प्रकाश बिहार एंप्रेन्योरशिप सम्मिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। आयोजन बिहार एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन और उद्योग विभाग की ओर से किया गया था।

उन्होंने कहा कि बिहार के विकास में छोटे उद्योगों की ही बड़ी भूमिका है। इसी राह बढ़ने की जरूरत है। गांवों के खाली मकान में लघु उद्योग लगाने की जरूरत है। उत्पादन का विकेन्द्रीकरण करें, लेकिन विपणन का केन्द्रीकरण। आबादी घनत्व भी यहाँ एक स्कवायर मीटर में 1100 है। इसका अध्ययन कर उत्पाद करें। थ्रीडी प्रिंटिंग के क्षेत्र में कदम बढ़ा हम लीड ले सकते हैं। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव नवीन वर्मा ने कहा कि दक्षिण भारत में पढ़े लिखे लोग नौकरी की जगह उद्योग लगाते हैं। हमारे यहां उल्टा है। लिनेन, मधुबनी पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट जैसी अपनी चीजों की भी ब्रांडिंग हम नहीं कर पा रहे। ई कामर्स के क्षेत्र में कदम बढ़ाने की जरूरत है। ई रिक्शा की फैक्टरी लगाने का भी यहां प्रस्ताव है। (विस्तृत : दैनिक जागरण, 11.3.2014)

उद्योग के लिए बिहार छठा सबसे पसंदीदा राज्य

अनुकूल औद्योगिक नीति और प्रशासनिक सिस्टम के कारण बिहार में उद्योग-धंधों के लिए अब बेहतर परिस्थितियां हैं। यह उद्योग-धंधों के लिए पसंदीदा राज्यों में छठे स्थान पर पहुंच गया है। बिहार के अलावा अन्य पिछड़े राज्यों ने भी इस मामले में लंबी छलांग लगायी है। इसका खुलासा योजना आयोग की ओर से कराये गये एक अध्ययन में हुआ।

"बिहार में संभावनाएं असीम हैं। यहां उद्योगों के लिए माहौल काफी अच्छा बना है। अभी छठा स्थान मिला है। इससे और ऊपर स्थान प्राप्त करने के लिए और प्रयास करना होगा। यह राज्य कंज्यूमर मार्केट है। यहां हर तरह के उद्योग लगाये जा सकते हैं।"

– **पी. के. अग्रवाल,** अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज

(विस्तृत: प्रभात खबर, 12.3.2014)

बढ़ सकता है फ्यूल सरचार्ज

बिजली उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 22 पैसे प्रति यूनिट की दर से फ्यूल सरचार्ज चुकाना पड़ सकता है। यह सरचार्य अप्रैल 2013 से ही लागू हो सकता है। फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव पावर होल्डिंग कंपनी ने रेगुलेटरी कमीशन को भेजा है। इस पर विचार और लोगों की सहमति के बाद ही इसे लागू किया जाएगा।

(साभार: दैनिक भास्कर, 20.3.2014)

बिजली कंपनी का दावा....
एक कॉल पर ही दूर होगी समस्या

टोल फ्री नंबर 18003456198 पर उपभोक्ता करें संपर्क

यहाँ भी करें शिकायत	
खगौल विद्युत बोड	3208010
मैंगल्स रोड	2215346
पीएमसीएच	2302006
राजेंद्र नगर	2672853
कंट्रोल रूम पेसू	2234020, 2280014, 2280024
गर्दनीबाग	2242867
मीठापुर	2227266
जक्कनपुर डीवीसी	2244756
श्रीकृष्णापुरी	2540763

(साभार: दैनिक भास्कर, 20.3.2014)

बाढ़ थर्मल से 330 मेगावाट बिजली

ट्यूब लीकेज के कारण बंद यूनिट चालू

बिजली संकट से जूझ रहे बिहार के लिए यह राहत भरी खबर है। अगर सबकुछ ठीक रहा तो 29 मार्च से एनटीपीसी बाढ़ थर्मल पावर से बिहार को 330 मेगावाट बिजली मिलने लगेगी। ट्यूब लिकेज के कारण नवंबर से ठप रही थर्मल पावर को दुबारा चालू किया गया।

एनटीपीसी सूत्रों के अनुसार इसे लगातार 72 घंटे चलाया जाएगा। यूनिट अपने फूल लोड 660 मेगावाट को प्राप्त कर लेगी तो कॉमर्शियल उत्पादन शुरू कर बिहार को 330 मेगावाट बिजली दी जाएगी।

फिलहाल बिजली की स्थिति : • 3500 मेगावाट लगभग आवश्यकता • 2200 मेगावाट औसतन उपलब्धता • 110 मेगावाट अपना उत्पादन • 200 मेगावाट हो रही है खरीद • 1934 मेगावाट केंद्रीय कोटा

इस साल बिहार का अपना उत्पादन बढ़ेगा : बिहार का अपना उत्पादन इस साल बढ़ेगा। कांटी की पुरानी यूनिट से मरम्मत होने के बाद 110 मेगावाट बिजली उत्पादित हो रही है। इसकी दूसरी यूनिट दो-तीन महीने में चालू हो जाने पर 110 मेगावाट और बढ़ जाएगी। बरौनी की दो यूनिट मरम्मत का काम अंतिम चरण में है व यहां से भी 220 मेगावाट बिजली उत्पादित होने लगेगी। (विस्तृत: हिन्दुस्तान, 27.3.2014)

राजधानी में बनेंगे दो नए पावर सब स्टेशन

• आरपीएस मोड़ व राजीव नगार थाना के पास प्रस्तावित है जमीन • डेढ़ साल में बन कर तैयार हो जाएगा • लगेगा पांच-पांच एमबी का पावर ट्रांसफॉर्मर

(विस्तृत: दैनिक भास्कर, 26.3.2014)

बिजली पूरी पर लोगों तक पहुंच नहीं पाती

लचर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कारण झेलनी पड़ती है मुसीबत

राजधानी के लिए बिजली की कमी नहीं है। मगर लचर बिजली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के चलते राजधानीवासियों को सही से बिजली नहीं मिल पाती है। आबादी बढती जा रही है।

बिजली की मांग भी हर साल पचास से सौ मेगावाट बढ़ जाती है। इस हिसाब से डिस्ट्रब्यूशन सिस्टम को मजबूत नहीं किया जा सका है। बिजली कंपनी को लोगों को पूरी व क्वालिटी बिजली देने से अधिक फिक्र उनसे अधिक से अधिक कमाई करने की दिख रही है।

अब तक नहीं हो सके ये काम : • सबस्टेशनों के जंफरों को दुरुस्त करना • ट्रांसफार्मरों का रखरखाव, एबी स्विच लगाना • ढीले तारों को कसकर सेपरेटर लगाना • जर्जर. तार बदलने का काम पूरा करना • ट्रांसफार्मरों की लोड बैलेंसिंग, इनकी क्षमता बढ़ाना • अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाना व पुराने की अर्थिंग।

(विस्तृत: हिन्दुस्तान, 24.3.2014)

68 निजी पीएफ ट्रस्टों को नियमित कर छूट

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की एक अधिकार प्राप्त समिति ने 68 निजी भविष्य निधि कोषों को नियमित तौर पर कर छूट की अनुमति दी है। इससे इन फर्मों के अंशधारकों को भी कर लाभ मिलेगा।

वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने ईपीएफओ के जरिये ट्रस्टों को नियमित कर छूट की सीमा 31 मार्च से आगे नहीं बढ़ाई है उसी के मददनजर यह बैठक बुलाई गई थी। चिंदबरम ने 2006 में इन ट्रस्टों के लिए 31मार्च 2007 तक कर छूट प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य कर दिया था। बाद में इसकी समय-सीमा बढ़ाई गई और अब यह 31 मार्च को समाप्त हो रही है। ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के. के. जालान ने कहा कि अधिकार प्राप्त समिति की पहली बैठक में निजी पीएफ ट्रस्टों को नियमित कर छूट पर विचार किया गया। हमने 68 ऐसे मामलों को मंजूरी दी है। नियमित कर छूट ईपीएफओ के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा दी जाती है जिसके प्रमुख श्रम मंत्री हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ईपीएफओ अभी 168 ऐसे ट्रस्टों के आवेदनों की जांच कर रहा है। इस साल जनवरी के बाद से ईपीएफओ के मुख्यालय को 30 ऐसे और आवेदन मिले हैं।

(साभार: हिन्दुस्तान, 29.3.2014)

बेरोजगारों व कामगारों को मिलेगा प्रशिक्षण

अब जिलों में व्यवसायिक कार्यों का प्रशिक्षण मिलेगा। इसका लाभ असंगठित क्षेत्र के कामगारों से लेकर बेरोजगार तक उठा सकते हैं। विभिन्न जिलों में ऐसे प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है।

सूत्रों के मुताबिक कामगारों को उनके हुनर के आधार पर निश्चित अवधि तक रोज प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवधि में उन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। कामगार को 50 से 240 घंटे तक की ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी। सूबे में अभी 98 'वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर' हैं। 25 और प्रोवाइडरों को शीघ्र ही पंजीकृत किया जाएगा। उनका संचालन पीपीपी मोड पर होगा। प्रशिक्षण के बाद तीसरी एजेंजी के माध्यम से कामगारों की परीक्षा भी ली जाएगी और सफल लोगों को प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा। सरकारी मान्यता प्राप्त इन प्रमाण पत्रों का उपयोग अन्य राज्यों में नौकरी से लेकर लोन लेने तक में किया जा सकता है। कामगार पूरी ट्रेनिंग लें, इसके लिए तयमुश्त 'सिक्यूरिटी मनी' भी उनसे ली जाएगी।

720 करोड़ होंगे खर्च : चालू वर्ष में 14 विभागों के माध्यम से 16 लाख लोगों को प्रशिक्षित करने की योजना है। इसमें करीब 720 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जिन 14 विभागों को कौशल विकास का टास्क सौंपा गया है वे अपने बजट से प्रशिक्षण के लिए राशि उपलब्ध कराएंगे। अधिक से अधिक लोगों को प्रशिक्षण दिलाने के लिए प्रत्येक जिले में डीएम की अध्यक्षता में एक अनुश्रवण समिति बनाई जाएगी।

(साभार: हिन्दुस्तान, 23.3.2014)

पटना ने दिया था विश्व को पोस्टल स्टाम्प का कॉन्सेप्ट

रिसर्च : कॉपर टिकट था पहला पोस्टल स्टाम्प

पोस्टल स्टाम्प की शुरुआत 1840 इंग्लैंड में हुई, लेकिन यह जानकर आप अचरज में पड़ जाएंगे कि इसका पहला कॉन्सेप्ट पटना ने ही दिया था। दुनिया का पहला पोस्टल स्टाम्प कॉपर टिकट था, जिसका मुद्रण अजीमाबाद मिंट में होता था। पोस्टेज शुल्क को लूटने से बचाने के लिए यह व्यवस्था चलन में आई थी। मशहूर फिलैटलिस्ट प्रटीप जैन के शोध में यह बातें सामने आयी है। जैन इसके जरिए बहुत जल्द पहले डाक टिकट को लेकर ब्रिटेन की दावेदारी को चुनौती देंगे।

प्री पेड टोकन के रूप में शुरू हुआ कॉपर टिकट : पोस्टल सेवा की शुरुआत 1774 ई में हुई। बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने घोषणा की कि पोस्टेज शुल्क दे कर कोई भी व्यक्ति पूरे देश में कहीं भी चिट्ठी व अन्य डाक सामग्री भेज सकता है। समस्या पोस्टल शुल्क के भुगतान में आ रही थी। जमींदार जब पत्र और पैसे देकर नौकरों को पोस्ट करने के लिए पोस्ट ऑफिस भेजते थे तो रास्ते में उनके लुटने का भय रहता था। इससे बचने के लिए एक प्रीपेड टोकन के रूप में कॉपर टिकट की शुरूआत हुई। इन्हें एक बार बड़ी संख्या में खरीद कर जमींदार ले आते थे और पत्र के साथ जरूरत अनुसार इन्हें अपने कर्मचारियों को देकर भेज देते थे। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी कॉपर टिकट को अपने पास रख लेते थे और चिट्ठी पर पोस्ट (पोस्टेज चार्ज) पेड का मुहर लगाकर भेज देते थे। वर्ष 1774 से 1785 तक लगातार बंगाल प्रेसीडेंसी (बिहार-उड़ीसा समेत) में कॉपर टिकट चलन में रहा। इस अवधि में सिर्फ अजीमाबाद मिंट में ही इसका मुद्रण होता था। बाद में व्यवसायी स्थानीय सोनारों की मदद से जाली कॉपर टिकट ढलवाने लगे। ब्रिटिश सरकार कोशिश करने के बावजूद इसे रोक नहीं पा रही थी और उसे राजस्व का भारी नुकसान हो रहा था। इसलिए उसने कॉपर टिकट के चलन को रोक दिया।

कॉपर टिकट के आगे-पीछे की तस्वीर

इससे होने वाली सुविधाएं लोंगों के जेहन में रही और उसी से प्रेरणा ग्रहण कर 1840 में ब्रिटेन में पहला पेपर स्टाम्प जारी किया गया। भारत में 1852 में सिंध से पेपर स्टाम्प शुरू हुआ। 1854 में लार्ड डलहौजी ने आधा, एक, दो और चार आना के पोस्टल स्टाम्प जारी करते हुए घोषणा की कि पूरे भारत में इनसे कहीं भी चिट्ठी भेजी जा सकती है।

(साभार: दैनिक भास्कर, 26.3.2014)

स्थायी ईपीएफ खाता नंबर अक्टूबर से

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ)अपने पांच करोड़ से अधिक अंशधारकों को अक्टूबर से स्थायी ईपीएफ खाता संख्या मुहैया कराएगा। यह काम कोर बैंटिंग प्रणाली की तर्ज पर चलेगा।

स्थायी या सार्वभौमिक खाता संख्या मिलने पर उपभेक्ताओं को नौकरी बदलने पर भविष्य निधि खाते के स्थानांतरण के लिए दावा करने की जरूरत नहीं होगी। यूएएन प्राप्त करने के बाद उपभोक्ताओं को नए संगठन से जुड़ने के बावजूद उसकी भविष्य निधि का पैसा स्थायी खाते में जमा होता रहेगा। ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के. के. जालान ने कहा कि हमने अपने अंशधारकों के लिए यूएएन कार्यक्रम लागू करने का एक खाका तैयार किया है। हम एक अक्टूबर को इसे चालू करेंगे।

(साभार: हिन्दुस्तान, 25.3.2014)

PT. GPO/R-10/NP-15/2014-2016 R.N. 4211/62

आधर कार्ड मांगने पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का आदेश

आधार कार्ड को सरकारी सेवाओं के लिए आवश्यक करने पर रोक के आदेश का सख्ती से पालन नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है। अदालत ने कार्ड को वैकल्पिक बनाएं रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि ध्यान रखा जाए कि बिना आधार कार्ड वाले योग्य नागरिकों को सरकारी सेवाओं से वंचित न किया जाए। **(विस्तृत: हिन्दुस्तान, 25.3.2014)**

अब जीपीओ के जरिये बंटेगा टेलीफोन बिल

टेलीफोन बिल अब प्रत्येक माह समय पर मिल जाएगा। डाक विभाग ने टेलीफोन बिल को समय पर पहुंचाने के लिए रणनीति में बदलाव किया है। टेलीफोन बिल पहले मेल बिजनेस सेंटर के माध्यम से वितरित होता था। नए मुख्य डाकपाल जीपीओ जितेन्द्र सिंह ने यह कार्य अब जीपीओ के जिम्मे कर दिया है।

डाक से संबंधित किसी तरह की जानकारी के लिए आप जीपीओ के 'कस्टमर केयर सेंटर 8987390590 पर डायल करें। सभी तरह की गतिविधियों की जानकारियाँ मिल जाएंगी। **(साभार : दैनिक जागरण, 28.3.2014)**

बैंक लाइसेंस हासिल करने की कवायद कर रहा डाकघर

भारतीय डाक विभाग को अपना बैंकिंग कारोबार शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेंस हासिल करने की दौड़ से बाहर होने का खतरा है। इसके लिए वह अपना कारोबार बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में छोटी बचत योजनाओं या अन्य फंडों से धन निकासी के लिए ग्राहकों को डाकघर बचत खाता खोलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

वैसे देश भर में बैंकों की कुल 98,000 शाखाओं की तुलना में डाक विभाग की तकरीबन 1,50,000 शाखाएं हैं जो कि सुदूर क्षेत्रों में भी बेहतर पकड़ रखता है। हालांकि एक ओर जहां देश में करीब 90.3 करोड़ बैंक खाते है वहीं डाकघरों में खाताधारकों की कुल संख्या अभी महज 28.7 करोड़ है। वैसे नियमित ग्राहकों के लिहाज से भी इसकी पकड़ अच्छी मानी जाती है। **(विस्तृत : बिजनेस स्टैंडर्ड, 28.3.2014)**

गैस सिलेंडर लेने में यह भी रखें ध्यान

रसोई गैस सिलेंडर जितना उपयोगी है, उतना संवेदनशील भी है। इसमें भरी लिक्विड पेट्रोलियम गैस हमारे भोजन के लिए ईंधन का काम तो करती है, लेकिन इसके प्रति जरा सी भी लापरवाही हमें मुसीबत में डाल सकती है। पिछले दिनों एक जंग लग पुराना सिलेंडर उपभोक्ता को दिए जाने के बाद तली से लीकेज का अपनी तरह का पहला मामला सामने आया था। गनीमत रही कि लीकेज से कोई दुर्घटना नहीं हुई। ऐसे हादसों को टालने के लिए सिलेंडर प्राप्त करते समय कुछ खास बातों का ध्यान जरूरी है। सिलेंडर की पत्ती के दूसरी ओर सिलेंडर के परीक्षण की तारीख लोहे में खुदी होती है। हर 10 वर्ष में एक बार सिलेंडर का परीक्षण होता है।

- **ए-12** मार्च 2012 में ही एक्सपायर (जनवरी -मार्च तक के लिए ए)
- **बी-12** जून 2012 में ही एक्सपायर (अप्रैल से जून के लिए बी)
- **सी-15** सितंबर 2015 तक वैध (जुलाई-सितंबर के लिए सी)
- **डी-10** दिसंबर 2010 में एक्सपायर (अक्टूबर-दिसंबर के लिए डी)

बरतें सतर्कता : • रसोई गैस लेते समय सिर्फ वजन ही नहीं, सिलेंडर की गुणवता जांचना भी जरूरी है • गैस एजेंसियों से उन सिलेंडरों में भी गैस भर कर उपभोक्ताओं को दी जा रही है, जिनकी मियाद पूरी हो चुकी है • जंग लगे यह सिलेंडर कमजोर और टेढ़े-मेढ़े हैं। इन सिलेंडरों से होने वाला लीकेज कभी भी गभीर दुर्घटना का सबब बन सकता है।

इस नंबर पर करें शिकायत : • **इंडेन गैस :** 18002333555 • **एचपी :** 0612-2440060 • **भारत गैस :** 0612-2221969

(साभार : दैनिक जागरण, 20.3.2014)

बधाई

श्री सुबोध कुमार जैन, को-चेयरमैन, रेलवे एवं ट्रांसपोर्ट, उप समिति, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज को बिहार सरकार ने अधिसूचना संख्या एस.ओ-120 दिनांक 25 फरवरी 2014 के द्वारा नवम बिहार राज्य दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्य के रूप में निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया है। चैम्बर की ओर से श्री जैन को बधाई।

थाना जाने में हो प्रॉब्लम, तो इ-मेल से करें शिकायत

संबंधित थाने या पुलिस अफसरों के इ-मेल आइडी पर करें कंप्लेन

पुलिस अधिकारियों व थानों के इ-मेल आइडी

spcity-patna-bih@nic.in
sprural-patna-bih@nic.in
dspsachiwalya-bih@nic.in
sdpomasaurhi-bih@nic.in
sdpocity-pat-bih@nic.in
dsptown-pat-bih@nic.in
sdpodanapur-bih@nic.in
sdposadarpat-bih@nic.in
sdpobarh--bih@nic.in
psphulwari-bih@nic.in
shomokamaps-bih@nic.in
shogbag.pat-bih@nic.in
shokhajekala-bih@nic.in
pschok-pat-bih@nic.in
psathmalgola-pat-bih@nic.in
shokbpat-bih@nic.in
ps.pirbahore-pat-bih@nic.in
ps.gaurichak-pat-bih@nic.in
ps. gopalpur-pat-bih@nic.in
ps.ptrkarngr-pat-bih@nic.in
ps.rkangar-pat-bih@nic.in
ps.rajivnagar-pat-bih@nic.in
ps.agamkuan-pat-bih@nic.in
ps. fathua-pat-bih@nic.in
ps. kotwali-pat-bih@nic.in
ps.daniyawan-pat-bih@nic.in
ps.bhdpur-pat-bih@nic.in
ps.naubatpur-pat-bih@nic.in
ps.parsabzr-pat-bih@nic.in
ps.sachiwaly-pat-bih@nic.in
ps.janipur-pat-bih@nic.in
ps.hawaiadda-pat-bih@nic.in
ps.patliputra-pat-bih@nic.in
ps.digha-pat-bih@nic.in
ps.kadamkuan-pat-bih@nic.in
ps.sahpur-pat-bih@nic.in
ps.hatidah-pat-bih@nic.in
ps.bhadaur-pat-bih@nic.in
ps.ghoswari-pat-bih@nic.in
ps.ranitalaw-pat-bih@nic.in
ps.sugauri-pat-bih@nic.in
ps.saksohara-pat-bih@nic.in
ps.belchi-pat-bih@nic.in
ps.pandarak-pat-bih@nic.in
ps.bikram-pat-bih@nic.in
ps.bhagwangj-pat-bih@nic.in
ps.kadirgnj-pat-bih@nic.in
ps.beur-pat-bih@nic.in
ps.jakkanpur-pat-bih@nic.in
ps.bypass-pat-bih@nic.in
ps.akilpur-pat-bih@nic.in
ps.bktiyarpr-pat-bih@nic.in
ps.belchi-pat-bih@nic.in
ps.salimpur-pat-bih@nic.in
ps.dulhinbzr-pat-bih@nic.in
ps.punpun-pat-bih@nic.in
ps.bikram-pat-bih@nic.in

शिकायत करते ही पुलिस अधिकारी करेंगे संपर्क : कोई भी व्यक्ति अपनी नाम, पता, समस्या व मोबाइल नंबर देकर थाना व पुलिस अधिकारियों के इ-मेल आइड़ी पर अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। हर थाने में प्रतिदिन इ-मेल आइडी को चेक किया जाता है। इसके लिए एक पुलिस पदाधिकारी की ड्यूटी लगायी गयी है। जानकारी मिलते ही आपके दिये गये मोबाइल नंबर पर पुलिस पदाधिकारी संपर्क करेंगे और आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे। **(साभार: प्रभात खबर, 8.3.2014)**

होटल में ठहरना हो तो रखें पहचान पत्र

दूर दराज से आकर होटलों में रुकने वाले यात्री ध्यान दें । राजधानी के किसी भी होटल में ठहरने से पहले अपना पहचान पत्र या आधार कार्ड पास में रखे। बिना पहचान पत्र के पकड़े जाने पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है।

(विस्तृत: हिन्दुस्तान, 23.3.2014)

EDITORIAL BOARD

Editor
A. K. P. Sinha
Secretary General

Ramchandra Prasad
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. Dubey
Asst. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-3200646, 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296